

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री राजकेश मीना
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 27/2019

उनवान

1 सांवरा उर्फ गिरधारी पिता किशना रेगर उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

..... वादी

बनाम

1 बद्री पिता किशना रेगर उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

2 रामस्वरूप पिता किशना रेगर उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

3 महावीर पिता किशना रेगर उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

4 रामपाल पिता चन्द्रा रेगर उम्र वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

5 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां

6 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भील0

.... प्रतिवादी


वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- वादी स्वयं
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

दिनांक— 22.11.2021

वादी का वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम कनेछनकलां हल्का पटवारी क्षेत्र कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 632 के आराजी संख्या 1804, 3122, 3123/5859, 3126, 3130, 3131, 3134, 4391, 4392 किता 9 कुल रकबा 2.45 हैक्टे. व खतौनी संख्या 631 के आराजी संख्या 294, 5248 किता 2 रकबा 1.01 हैक्ट. भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम बतौर सहखातेदार सांवरा पुत्र किशना रेगर सा.देह के स्थान पर सांवरा उर्फ गिरधारी पिता किशना रेगर सा.देह खातेदार दुरस्त किये जाने आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार फुलियाकलां तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आज यह डिक्री दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम कनेछनकलां में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।


(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला भीलवाड़ा